न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

वन0: 13/2009 रजू दिनांकः– 06.03.2009

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. डोडीराम पुत्र प्रभू (मृतक)
   1/1 जगराम पुत्र डोडीराम
   1/2 सुरेश पुत्र डोडीराम
   1/3 धर्मा पत्नि डोडीराम
   1/4 संता पुत्री डोडीराम
   1/5 मुकेशी पुत्री डोडीराम
   1/6 लोहडी पुत्री डोडीराम
2. राजकुमार पुत्र भौरीलाल
3. गिर्राज पुत्र जौहरी
4. बनैसिंह पुत्र धप्पू
5. श्रीमन पुत्र किशोरीलाल
6. ज्वानसिंह पुत्र किशनलाल
7. रामकुंवार पुत्र झिवलीराम
8. रामहरि पुत्र भौरया मृतक
   8/1 कैलाश पुत्र रामहरि
   8/2 प्रहलाद पुत्र रामहरि
   8/3 मुकेश पुत्र रामहरि
   8/4 राजेश पुत्र रामहरि
   8/5 मोहरबाई बेवा रामहरि
   8/6 सामन्ती पुत्री रामहरि
9. शंकरलाल पुत्र हजारीलाल
10. भरतलाल पुत्र गुलाबलाल
11. बृजलाल पुत्र रामकिशन
12. रामकिशोर पुत्र विशन्या
13. हरगोविन्द पुत्र विशन्या
14. सूरजमल पुत्र सोनपाल
15. हरि पुत्र रामकिशन
16. जयलाल पुत्र गंगाधर
17. प्यारेलाल पुत्र रंगूलाल
18. मोहरसिंह पुत्र ठंडीराम
19. हरिकिशन पुत्र ठंडीराम

समस्त जातियान मीना निवासीयान माचडी तहसील टोडाभीम।

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
2. तहसीलदार टोडाभीम।
3. किशन लाल पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी माचडी तहसील टोडाभीम।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:06:38 IST
Reason: SelfAttested

दावा बावत इस्तकरारहक(इन्द्राज दुरूस्ती) एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादीगण)
श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी न0 3)

निर्णय दिनांकः– 03.06.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम माचडी की साबिक आराजी ख0न0 1/2 रकवा 15 बीधा जो कि सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा नवीन ख0न0 1/0.40 है0, 2/0.78 है0, 5/1094/ 0.13 है0, 22/1095 रकवा 0.15 है0 बनाये है।

साबिक ख0न0 1/1 रकवा 7 बीधा 7 बिस्वा जो कि सेटिलेन्ट विभाग द्वारा नवीन ख0न0 651/1.41 है0 652/0.49 है0 बनाये है।

साबिक ख0न0 1/2 रकवा 15 बीधा पूर्व खातेदार रामचरण पुत्र रामू स्वर्णकार के नाम थी। जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2041 से 44 मे दर्ज रिकार्ड है। जिसके द्वारा एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.9. 1991 को भंवरलाल, बाबूलाल, छगनलाल, सुल्तान को विक्रय कर दी तथा कब्जा करा दिया। तथा उसमे से 1 बीधा भूमि टोडाभीम बालघाट रोड मे चली गई। उक्त सडक आराजीयात के बीचो बीच होकर निकला शेष आराजीयात सडक के दोनो और शेष रही तथा उक्त चारो व्यक्तियो भंवरलाल, बाबूलाल, छगनलाल, सुल्तानसिह पि0 मनोहरी द्वारा उक्त आराजीयात को रजिस्ट्री दिनांक 27.09.1994 को वादीगण के नाम करा दी। रजिस्ट्री कराते ही वादीगण का उपरोक्त 14 बीधा भूमि पर कब्जा करा दिया। खरीद के दिन से वादीगण उपरोक्त आराजीयात पर काबिज एवं दखील है। तथा आज भी काबिज काश्त कर रहे है।

सेटिलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा बिना साबिक रिकार्ड को बिना देखे बिना मौके को जॉच किये साबिक न0 1/2 से नवीन रिकार्ड बनाते समय 15 बीधा से नवीन 4 खसरा नम्बर 1, 2 , 5/1094, 22/1095 मे अंकित कर 1.46 है0 कर दिया तथा सडक मे जाने के बाद भी कुल 8 बीधा का रकबा कम कर दिया है। जो गलत है। अवनीसीयो वाईड व प्रभावहीन वादी है तथा ना ही मौके व साबिक रिकार्ड के मुताबिक नवीन ट्रेस अंकित किया है। इस प्रकार सेटिलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा तरमीम मौजूदा रिकार्ड जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल व ट्रेस गलत है। अवनीसियो वाईड व प्रभावहीन वादीगण है जिनकी दुरूस्ती करवाने का वादीगण हकदार है। तथा वादीगण अपना रकवा 8 बीधा के स्थान पर 14 बीधा करवाने के हकदार है।

सेटिलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा साबिक न0 1/2 से मौजूदा ट्रेस बनाते समय ख0न0 1, 2, 5/1094, 22/1095 मे अंकित किये है। जबकि मौके के अनुसार व काबिज काश्त के अनुसार ख0न0 651, 652 वादी को खातेदारी मे होना चाहिये। साबिक ट्रेस ख0न0 1/1 व 1/2 का डिवाईडेशन पूर्व पश्चिम है जबकि सेटिलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा मौजूदा ट्रेस बनाते समय डिवाईडेशन उत्तर दक्षिण कर दिया जो गलत है। अवीनिसियो वाईड व प्रभावहीन वादी है। जिसकी दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त राजस्व रिकार्ड मे गलती का पटवारी हल्का से जमाबन्दी लेने बावत पूछने पर पता चला तो वादीगण दिनांक 28.06.2006 को प्रतिवादी न0 2 के कार्यालय मे गये तथा राजस्व रिकार्ड मे हुई गलती को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने सक्षम न्यायालय मे दुरूस्ती दावा कर दुरूस्ती करवाने को कहा इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी ख0न0 651, 652, 2, 23/1095 का रकवा 6 बीधा के स्थान पर 14 बीधा किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार साबिक राजस्व व साबिक सीट अनुसार घोषित किया जावे। तथा ख0न0 651, 652 की खातेदारी प्रतिवादी न0 3 के नाम से हजफ की जावे तथा ख0 न0 1 व 5/1094 की खातेदारी से वादीगण का नाम हजफ कर प्रतिवादीगण के नाम की जावे। एवं वादीगण के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे वादीगण को बेदखल नही करे, आराजीयात को रहन व्यय नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी न0 2 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवादी न0 3 ने जरिये वकालतन दिनांक 03.09.2015 को संशोधित जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम ... स्वीकार है। शेष इबारत जिस प्रकार तहरीर की गई है अस्वीकार है। मद न0 2 स्वीकार है, मद न0 3 मे दर्ज आराजीयात का पूर्व मे रामकरण की होना स्वीकार होना व विक्रय होना स्वीकार है, शेष इबारत अस्वीकार है। मद न0 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है अस्वीकार है, सेटिलमेन्ट विभाग ने मौके पर जॉच करने बाद ही राजस्व रिकार्ड मे तरमीम की है। वास्तव मे दौराने सेटिलमेन्ट विभाग मे आराजीयात के तत्कालीन खातेदारान को चाराजोही करनी चाहिये थी, जो नही की, अब वादीगण ने प्रतिवादी न0 3 को हैरान परेशान करने की गरज से बदरिनति पूर्वक यह दावा बिल्कुल गलत पेश किया है जो काबिले खारिज है। मद न0 5 मे समस्त तथ्य बिल्कुल गलत एवं मौके के विपरीत दर्ज किये है। मद न0 6 अस्वीकार है दावा किसी प्रकार से अर्जेन्ट नेचर का नही है, तथा दावा बिना विधिक नोटिस दिये पेश किया है, जो हर सूरत मे काबिले

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:06:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

खारिज है। मद न0 7 अस्वीकार है वादीगण को कोई विनायदावा किसी भी प्रकार की किसी भी दिन उत्पन्न नही हुई है। मद न0 8,9,10 कानूनी होने से जबाब के मोहताज नही है। मद न0 11 गलत है, अस्वीकार है। वादीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर दावा पेश किया है किसी भी प्रकार से रिलीफ पाने के अधिकारी नही है। जबाब के विशेष विवरण मे जबाब पेश किया है कि वादपत्र बिना धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिये बिना पेश कर दिया है, जो कानूनन आवश्यक है, इस बिना पर दावा प्राईमरी स्टेज पर काबिले खारिज है। अतः जबाब दावा पेश कर अर्ज है कि वादीगण मय दावा खर्च खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई।

1. आया आराजी साबिक ख0न0 1/2 रकवा 15 बीधा पूर्व मे खातेदार रामचरण पुत्र रामप्रसाद स्वर्णकार के नाम थी जिसने भंवर, बाबूलाल वगै0 को बेचान कर दी तथा बाबू, भंवर, छगन, सुल्तान ने दिनांक 27.09.1994 को वादीगण के हक मे रजिस्ट्री करा दी।

   (जिम्मे वादीगण)

2. आया सेटिलमेन्ट द्वारा साबिक ख0न0 1/2 रकवा 15 बीधा से नवीन ख0न0 1, 2, 5/1094, 22/1095 बनाकर रकवा कम कर दिया है तथा रकवा 8 बीधा बनाकर 6 बीधा कम कर दी है।

   (जिम्मे वादीगण)

3. आया सेटिलमेन्ट द्वारा साबिक ट्रेस के मुताबिक नवीन ट्रेस कायम नही किया है ख0न0 1/1 तथा 1/2 जो डिवाइडेशन पूर्व पश्चिम है उसे सटिलमेन्ट ने उत्तर दक्षिण कर दिया है।

   (जिम्मे वादीगण)

4. आया ख0न0 651, 652 पर साबिक सीट के मुताबिक काबिज है तथा उक्त खसरा नम्बरान से प्रतिवादी न0 3 का नाम हजफ कराने के हकदार है।

   (जिम्मे वादीगण)

5. आया वादीगण द्वारा 80 (2) का नोटिस नही दिया है इसलिये दावा चलने योग्य नही है।

   (जिम्मे प्रतिवादी न0 3)

6. अनुतोष ?

दौराने दावा उभयपक्षकारान ने वादपत्र मे वर्णित आराजीयात का जरिये वकालतन राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया, जिसमे उभयपक्षकारान ने कथन किया है कि वादपत्र मे वर्णित ख0न0 1/0.40, 2/0.78, 5/1094/0.13, 23/1095/0.15, 651/1.41, 652/0.49 है0 मे प्रतिवादी न0 3 बहिस्सा 1/3 तथा वादी न0 1/1 ता 1/3 प्रत्येक बहिस्सा 2/63, वादी न0 2 व 3 प्रत्येक बहिस्सा 2/21, वादी न0 4 हिस्सा 1/21, वादी न0 5 बहिस्सा 1/60, वादी न0 6 ता 7 प्रत्येक बहिस्सा 1/30–1/30 वादी न0 8/1 ता 8/5 प्रत्येक बहिस्सा 1/150–1/150, वादी न0 9 बहिस्सा 1/20, वादी न0 10 बहिस्सा 1/60, वादी न0 11/1 ता 1/5 के पिता बृजलाल के वारिस के रूप मे वादी न0 11/1 ता 11/5 बहिस्सा 1/60 के वादी न0 12 बहिस्सा 1/60, वादी न0 13 बहिस्सा 1/60, वादी न0 14/1, बहिस्सा 1/60, वादी न0 15 बहिस्सा 1/60, वादी न0 16 बहिस्सा 1/60, वादी न0 17 बहिस्सा 1/60, वादी न0 18 बहिस्सा 1/60 वादी न0 19 बहिस्सा 1/60 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे।

उभयपक्षकारान व उनके वकील द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया, पत्रावली मे वर्णित आराजीयात की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के ख0न0 1/0.40, 5/1094/0.13, 2/0.78, 23/1095/0.15 मे वादी न0 1/1 ता 1/3 प्रत्येक 1/21–1/21 के, वादी न0 2 राजकुमार पुत्र भोरीलाल हिस्सा 1/7, वादी न0 3 गिर्राज पुत्र जौहरी हिस्सा 1/7, वादी न0 4 बनीसिह पुत्र धप्पू हिस्सा 1/14, वादी न0 5 श्रीमन पुत्र किशोरी हिस्सा 1/40, वादी न0 6 जवानसिंह पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/20, वादी न0 7 रामकुवार पुत्र झिवली हिस्सा 1/20, वादी न0 8/1 ता 8/5 प्रत्येक 1/[illegible] लाल पुत्र हजारी हिस्सा 3/40, वादी न0 10 भरतलाल पुत्र गुलाब हिस्सा 1/40, वादी [illegible]सा बृजलाल पुत्र रामकिशन के वारिसान 11/1 ता 11/5 हिस्सा 1/40, वादी न0 12 [illegible] हिस्सा 1/40, वादी न0 13 हरगोविन्द पुत्र विशन्या हिस्सा 1/40, वादी न0 14/1 [illegible] हिस्सा 1/40, वादी न0 15 हरि पुत्र रामकिशन हिस्सा 1/40, वादी न0 16 हिस्सा [illegible] पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/40, वादी न0 17 प्यारेलाल पुत्र रंगू हिस्सा 1/40, वादी न0 18 मोहरसिंह पुत्र [illegible]डीराम हिस्सा 1/40, वादी न0 19 हरिकिशन पुत्र ठण्डीराम हिस्सा 1/40 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। एवं ख0न0 651/1.41, 652/0.49 मे प्रतिवादी न0 3 किशनलाल पुत्र मूल्या हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अर्थात वादपत्र मे समस्त वादीगण व प्रतिवादी न0 3 रिकार्डेड खातेदार होने पर समस्त पक्षकारान द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:06:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मुताबिक राजीनामा अपना–अपना हिस्सा कायम किया गया है। वादीगण व प्रतिवादी न0 3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये है तथा फोटो चश्पा किये गये है। उक्त विवेचन व प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण का दावा बावत इश्तकरारहक, स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम माचडी की आराजी ख0न0 1/0.40, 5/1094/0.13, 2/0.78, 23/1095/0.15, 651/1.41, 652/0.49 है0 मे समस्त खातेदारान के नाम व हिस्सा हजफ किया जाकर मुताबिक राजीनामा वादी न0 1/1 ता 1/3 प्रत्येक 2/63–2/63 के, वादी न0 2 राजकुमार पुत्र भोरीलाल हिस्सा 2/21, वादी न0 3 गिर्राज पुत्र जौहरी हिस्सा 2/21, वादी न0 4 बनैसिह पुत्र धप्पू हिस्सा 1/21, वादी न0 5 श्रीमन पुत्र किशोरी हिस्सा 1/60, वादी न0 6 जवानसिंह पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/30, वादी न0 7 रामकुवार पुत्र झिवली हिस्सा 1/30, वादी न0 8/1 ता 8/5 प्रत्येक 1/150–1/150, वादी न0 9 शंकर लाल पुत्र हजारी हिस्सा 1/20, वादी न0 10 भरतलाल पुत्र गुलाब हिस्सा 1/60, वादी न0 11 हिस्सा बृजलाल पुत्र रामकिशन के वारिसान 11/1 ता 11/5 हिस्सा 1/60, वादी न0 12 रामकिशोर पुत्र विशन्या हिस्सा 1/60, वादी न0 13 हरगोविन्द पुत्र विशन्या हिस्सा 1/60, वादी न0 14/1 काडू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/60, वादी न0 15 हरि पुत्र रामकिशन हिस्सा 1/60, वादी न0 16 हिस्सा जयलाल पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/60, वादी न0 17 प्यारेलाल पुत्र रंगू हिस्सा 1/60, वादी न0 18 मोहरसिंह पुत्र ठण्डीराम हिस्सा 1/60, वादी न0 19 हरिकिशन पुत्र ठण्डीराम हिस्सा 1/60 के तथा प्रतिवादी न0 3 किशनलाल पुत्र मूल्या हिस्सा 1/3 समस्त जातियान मीना सा.देह खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबन्दी मे जिन खातेदारान के हक मे बैक रहन है वह खातेदार स्वंय समस्त आराजीयात का ऋण चुकता करने हेतु मुताबिक राजीनामा पाबन्द रहेगे। एवं उयभपक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, मुताबिक राजीनामा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:06:38 IST
Reason: SelfAttested